No.CDN-27011/2/2019-CDN-MCA
Government of India
Ministry of Corporate Affairs

5th Floor, 'A' Wing, Shastri Bhavan
Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001
Dated: 19.08.2019

A copy of the Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of July, 2019 is enclosed for information.

(Hemant Verma)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele: 23381349

All Members of the Council of Ministers

Copy, with enclosures, forwarded to:

1. Cabinet Secretary, Cabinet Secretariat, New Delhi
2. Secretary to the President of India, Rashtrapati Bhawan, New Delhi
3. Secretary to the Vice- President of India, Vice President's Secretariat, New Delhi.
4. The Principal Director General, Ministry of I & B, Shastri Bhawan, New Delhi
5. Secretary, Deptt. of Telecommunications, Sanchar Bhawan, New Delhi
6. Secretary, Deptt. of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi
7. Secretary, Deptt. of Statistics, Sardar Patel Bhawan, New Delhi
8. Secretary, Legislative Deptt., Shastri Bhawan, New Delhi
9. Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research,C.S.I.R Building, Rafi Marg, New Delhi
10. Secretary, Ministry of Environment & Forest, Paryavaran Bhawan, New Delhi
11. Secretary, Ministry of Urban Development, Nirman Bhawan, New Delhi
12. Secretary, Deptt. of Revenue, North Block, New Delhi
13. Secretary, Deptt. of Industrial Development, Udyog Bhawan, New Delhi
14. Secretary, Deptt. of Defence Production & Supplies, South Block, New Delhi
15. Secretary, Deptt. of Legal Affairs, Shastri Bhawan, New Delhi

Copy to:

(i) Senior PPS to Secretary, Ministry of Corporate Affairs
(ii) Senior PPS to Additional Secretary, Ministry of Corporate affairs

Copy, also to: Dir (AK) - To upload the communication on official website of the MCA - under the caption "Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of July, 2019"

(Hemant Verma)
Under Secretary to the Govt. of India

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

IMPORTANT POLICY DECISIONS TAKEN AND MAJOR ACHIEVEMENTS DURING THE MONTH OF JULY, 2019

(1) Notifications:-

(i) A notification vide G.S.R. 466(E) was issued on 1st July, 2019 for amending the Companies (Significant Beneficial Owners) Rules, 2018 for substituting the Form No. BEN-2. (Notification no. G.S.R. 466(E) dated 01.07.2019).

(ii) A notification vide S.O.2269 (E) was issued on 1st July, 2019 for commencement of the provisions of section 81 of the Companies (Amendment) Act, 2017, corresponding to Section 406 of the Companies Act, 2013 pertaining to Nidhi companies. The said commencement will take effect from 15th August, 2019.

(iii) A notification vide G.S.R. 467(E) was also issued on 1st July, 2019 for certain amendments in the Nidhi Rules, 2014, including prescription of e-form NDH-4 for making an application to the Central Government for declaration of a Nidhi. This notification shall be effective from 15th August, 2019.

(iv) A notification vide S.O.2564(E) was issued on 17th July, 2019 for designating the Court of District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Pune as Special Court in the State of Maharashtra under Section 435 of the Companies Act, 2013 for the purposes of providing speedy trial of offences punishable with imprisonment of two years or more under the said Act. (Notification no. S.O.2564(E) dated 17.07.2019).

(v) A notification vide G.S.R. 527(E) was issued on 25th July, 2019 for amending the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014 for amending fee for filing e-form DIR-3 KYC or DIR-3 KYC-WEB under rule 12A of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 and made the fee payable till 30th September, 2019 as NIL and thereafter Rs. 5000/-.

(vi) A notification vide S.O. 2650(E) was issued on 25th July, 2019 to make amendment in the earlier notification no. S.O.831 (E) dated 24.3.2015 for substituting the words "Registrar of Companies, Guwahati" for the words "Registrar of Companies,

Shillong" in Table, against s.no. 11, in the third column under the heading "Designation".

(vii) A notification vide S.O.2651 (E) was issued on 25th July, 2019 for establishing the office of the Registrar of Companies at Guwahati consequent to re-location of the said office from Shillong. The said office shall have territorial jurisdiction in whole of the States of Assam, Meghalaya, Manipur, Tripura, Mizoram, Nagaland and Arunachal Pradesh. The said Notification also appointed the Registrar of Companies at Guwahati for the purpose of registration of companies and discharging the function under the aforesaid act in the said States.

(viii) A notification vide S.O. 2652 (E) was issued on 25th July, 2019 for amendment in the earlier notification no. G.S.R. 832(E) dated 3rd November, 2015 for substituting the word "Guwahati" for the word "Shillong" in the Table, against serial number (6), in column(1).

(ix) A notification vide G.S.R. 528(E) was issued on 25th July, 2019 for amending the Companies(Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 for extending the date of filing of e-form DIR-3-KYC and for providing a web-service DIR-3-KYC-WEB to be used by individuals who have filed e-form DIR-3-KYC for the previous financial year.

(2) Companies (Amendment) Act, 2019: -

(i) The Companies (Amendment) Second Ordinance, 2019 was promulgated by Honourable President on 21st February, 2019 (effective from 2nd November, 2018) to plug the critical gaps in the Companies Act, 2013 and also to facilitate ease of doing business and strengthen the corporate compliance management.

(ii) In order to replace the Companies (Amendment) Second Ordinance, 2019, the Companies (Amendment) Bill, 2019 was introduced in the Lok Sabha. This Bill was considered and passed by the Lok Sabha on 26th July, 2019 and by the Rajya Sabha on 30th July, 2019. The Honourable President assented the Bill on 31st July, 2019 and

accordingly, the Companies (Amendment) Act, 2019 has been published in the Gazette on the said date. The Amendment Act has been placed on the Ministry's website.

(3) Circulars:-

In view of several representations regarding extension of the last date for filing of e-Form No.BEN-2 without additional fees on account of Companies (Significant Beneficial Owners) Second Amendment Rules, 2019 notified vide G.S.R. No. 446 (E) dated 01..07.2019, a General Circular was issued on 29.07.2019 for extending the time limit for filing e-form No.BEN-2 upto 30.09.2019 without payment of additional fee and thereafter fee and additional fee shall be payable.

(4) During the month of July, 2019, seven (07) antitrust cases were filed before the Competition Commission of India (Commission). The Commission closed five (05) antitrust cases under Section 26(2) of the Competition Act, 2002 (Act). With regard to combination notices, six (06) new combination notices were received while three (03) combination notices were disposed of by the Commission during the month.

(5) The commission organized two lectures under newly initiated monthly Special Lecture Series (SLS) by Prof. Sebastian Morris, IIM Ahmedabad on the topic "Competition among Industries with Consumer Side Scale and Scope Economics" on 1st July, 2019 and Shri Lalit Gupta, Former Joint Director General, Directorate General of Civil Aviation on the topic "Slot Allocation at Indian Airports- Regulatory Perspective on 3rd July, 2019.

(6) Mr. Ansuman Pattnaik, Director General and Mr. Kamal Sultanpuri, Deputy Director (Law) participated in 18th meeting of the United Nations Conference on Trade and Development- Intergovernmental Group of Experts on "Competition Law and Policy" in Geneva, Switzerland.

(7) The Insolvency and Bankruptcy (Amendment) Bill, 2019 has been passed by Rajya Sabha on 25th July, 2019 (and by Lok Sabha on 01st August, 2019) to fill critical gaps in the corporate insolvency resolution framework as enshrined in the Insolvency and Bankruptcy Code (Code) and remove certain doubts and ambiguities that have arisen in order to ensure desired outcomes of the Code.

सं. सीडीएन-27011/2/2019-सीडीएन-एमसीए

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन,

डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001

तारीखः 19 .08.2019

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के जुलाई, 2019 माह के मासिक सार की प्रति सूचनार्थ संलग्न है।

(हेमंत वर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाषः 23381349

<u>मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य</u>

प्रतिलिपि, संलग्नक सहित, निम्नलिखित को प्रेषित-

1. कैबिनेट सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली
2. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
3. भारत के उप राष्ट्रपति के सचिव, उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
4. प्रधान महानिदेशक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
5. सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली
6. सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
7. सचिव, सांख्यिकी विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली
8. सचिव, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
9. सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, सीएसआईआर बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली
10. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली
11. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
12. सचिव, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
13. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली
14. सचिव, रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
15. सचिव, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि प्रेषितः (i) सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव

(ii) अपर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव

प्रतिलिपि इन्हें भी प्रेषितः निदेशक (ए.के.) - एमसीए वेबसाइट पर "कारपोरेट कार्य मंत्रालय का जुलाई, 2019 का मासिक सार" शीर्ष के अंतर्गत अपलोड करने के लिए।

(हेमंत वर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

जुलाई, 2019 के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और मुख्य उपलब्धियां

(1) **अधिसूचनाएं:-**

(i) 01 जुलाई, 2019 को प्रपत्र संख्या बेन-2 को प्रतिस्थापित करने हेतु कंपनी (महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामी) नियम, 2018 में संशोधन के लिए सा.का.नि.466(अ) द्वारा अधिसूचना जारी की गई। (अधिसूचना संख्या सा.का.नि.466(अ) दिनांक 01.07.2019)।

(ii) 01 जुलाई, 2019 को निधि कंपनियों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 406 से संबंधित कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा 81 के उपबंधों को प्रारंभ करने हेतु का.आ.2269(अ) द्वारा अधिसूचना जारी की गई। उक्त प्रावधान 15 अगस्त, 2019 से प्रवृत्त होंगे।

(iii) 01 जुलाई, 2019 को निधि नियम, 2014 में कतिपय संशोधनों के लिए सा.का.नि.467(अ) द्वारा भी एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें निधि की घोषणा करने हेतु केंद्रीय सरकार को आवेदन करने के लिए ई-प्रपत्र एनडीएच-4 निर्धारित करना शामिल है। यह अधिसूचना 15 अगस्त, 2019 से प्रवृत्त होगी।

(iv) 17 जुलाई, 2019 को का.आ.2564(अ) द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई जिससे उक्त अधिनियम के अधीन दो या दो से अधिक वर्षों के कारावास सहित दंड संबंधी अपराधों की शीघ्र सुनवाई करने के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 435 के अधीन महाराष्ट्र राज्य में जिला न्यायाधीश का न्यायालय-1 और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे को विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित किया जा सके। (अधिसूचना संख्या का.आ.2564(अ) दिनांक 17.07.2019)।

(v) 25 जुलाई, 2019 को कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और शुल्क) नियम, 2014 में संशोधन करने हेतु सा.का.नि.527(अ) द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई जिससे कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) नियम, 2014 के नियम 12क के अधीन ई-प्रपत्र डीआईआर-3 केवाईसी या डीआईआर-3 केवाईसी-वेब दायर करने हेतु शुल्क में संशोधन किया जा सके और दिनांक 30 सितंबर, 2019 तक देय शुल्क को शून्य और उसके पश्चात् दिए गए शुल्क की राशि 5000/- रुपये किया गया।

(vi) पूर्व में जारी की गई अधिसूचना संख्या का.आ.831(अ) दिनांक 24.03.2015 में संशोधन करने हेतु 25 जुलाई, 2019 को का.आ.2650(अ) द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई जिससे "पदनाम" शीर्ष के अधीन तीसरे कॉलम में क्रम संख्या 11 में दी गई तालिका में "कंपनी रजिस्ट्रार, शिलांग" के स्थान पर "कंपनी रजिस्ट्रार, गुवाहाटी" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जा सके।

(vii) 25 जुलाई, 2019 को का.आ.2651(अ) द्वारा शिलांग से कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय के पुनः स्थानांतरण के परिणामस्वरूप गुवाहाटी स्थित कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय की स्थापना हेतु अधिसूचना जारी की गई। उक्त कार्यालय का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार संपूर्ण असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड और अरूणाचल प्रदेश राज्य में होगा। उक्त अधिसूचना में गुवाहाटी स्थित कंपनी रजिस्ट्रार को उक्त राज्यों में उपरोक्त अधिनियम के अधीन कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण करने और कार्यों के निवर्हन करने के उद्देश्य से भी नियुक्त किया गया।

(viii) पूर्व में जारी की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि.832(अ) दिनांक 03 नवंबर, 2015 की सारणी में कॉलम (1) के क्रम संख्या (6) में "शिलांग" शब्द के लिए "गुवाहाटी" शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए संशोधन करने हेतु 25 जुलाई, 2019 को का.आ.2652(अ) द्वारा अधिसूचना जारी की गई।

(ix) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) नियम, 2014 में संशोधन करने हेतु 25 जुलाई, 2019 को सा.का.नि.528(अ) द्वारा अधिसूचना जारी गई जिससे ई-प्रपत्र डीआईआर-3-केवाईसी दायर करने की तारीख को बढाया जा सके और पिछले वित्तीय वर्षों के लिए ई-प्रपत्र डीआईआर-3-केवाईसी दायर करने वाले वैयक्तिकों द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए वेब सेवा डीआईआर-3-केवाईसी-वेब उपलब्ध कराया जा सके।

2. **कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019**:-

(i) दिनांक 21 फरवरी, 2019 को माननीय राष्ट्रपति द्वारा कंपनी (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2019 का प्रख्यापन किया गया (02 नवंबर, 2018 से प्रभावी) जिससे कंपनी अधिनियम, 2013 की महत्वपूर्ण कमियों को पूरा किया जा सके और व्यवसाय करने में आसानी (ईज ऑफ डुइंग बिजनेस) की सुविधा दी जा सके और कारपोरेट अनुपालन प्रबंधन को सुदृढ किया जा सके।

(ii) कंपनी (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2019 को प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से लोकसभा में कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019 पुरःस्थापित किया गया। इस विधेयक को 26 जुलाई, 2019 को लोकसभा द्वारा और 30 जुलाई, 2019 को राज्यसभा द्वारा विचार कर पारित किया गया। माननीय राष्ट्रपति ने 31 जुलाई, 2019 को इस विधेयक पर स्वीकृति दी और तदनुसार, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 को उक्त तारीख को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। संशोधन अधिनियम को मंत्रालय की वेबसाइट पर रखा गया है।

3. **परिपत्र:-**

दिनांक 01.07.2019 की सा.का.नि. संख्या 446(अ) द्वारा अधिसूचित कंपनी (महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामी) द्वितीय संशोधन नियम, 2019 के अनुसार बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ई-प्रपत्र संख्या बेन-2 दायर करने की अंतिम तारीख को बढाने के संबंध में पर्याप्त विभिन्न अभ्यावेदनों को देखते हुए, दिनांक 29.07.2019 को एक सामान्य परिपत्र जारी किया गया जिससे दिनांक 30.09.2019 तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क भुगतान के ई-प्ररूप-बेन-2 दायर करने की सीमा को बढाया जा सके और उस तारीख के पश्चात् शुल्क और अतिरिक्त शुल्क देय किया जा सके।

(4) जुलाई, 2019 के दौरान, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (आयोग) के समक्ष सात (07) न्यासरोधी मामले दायर किए गए। आयोग ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 26(2) के अधीन पांच (05) न्यासरोधी मामले बंद किए। संयोजन सूचनाओं के संबंध में, छह (06) नई संयोजन सूचनाएं प्राप्त की जिसमें से आयोग द्वारा जुलाई के दौरान तीन (03) संयोजन सूचनाएं निपटाई गई हैं।

(5) आयोग ने नई पहल **मासिक विशेष व्याख्यान श्रृंखला (एसएलएस)** के अधीन दो व्याख्यान दिनांक 01 जुलाई, 2019 को "कॉम्पिटिशन अमंग इंडस्ट्रीज विद कन्ज्यूमर साइड स्केल एंड स्कोप इक्नॉमिक्स" विषय पर प्रो. सेबेस्टीयन मोरिस और 03 जुलाई, 2019 को "स्लॉट एलोकेशन एट इंडियन एअरपोर्ट्स - रेगुलेटरी प्रोस्पेक्टिव" विषय पर श्री ललित गुप्ता, पूर्व संयुक्त महानिदेशक, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा आयोजित किए।

(6) श्री अंशुमन पट्टनायक, महानिदेशक और श्री कमल सुल्तानपुरी, उप निदेशक (विधि) ने जेनेवा, स्विटजरलैंड में "कॉम्पिटिशन लॉ एंड पॉलिसी" के संबंध में व्यापार और विकास - विशेषज्ञों का अंत:शासकीय समूह संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 18वीं बैठक में भाग लिया।

(7) 25 जुलाई, 2019 को राज्यसभा द्वारा (और 01 अगस्त, 2019 को लोकसभा द्वारा) दिवाला एवं शोधन अक्षमता (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया गया जिससे दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (संहिता) में दिए गए कारपोरेट दिवाला समाधान ढांचे की महत्वपूर्ण कमियों को पूरा किया जा सके और संहिता के अपेक्षित परिणामों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठने वाली कतिपय शंकाओं और विसंगतियों को दूर किया जा सके।

*****